फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

धर्मेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि. विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 66 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री थान सिह निवासी ग्राम अरौदा पोस्ट हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी **विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः मूल अपील प्रार्थी को लौटाई जाकर लिखा जावे कि वे नियमानुसार अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	838 17/9/25 अपील